

07.06.24

पत्रावली पेश। वकील उमयपद्म सुप.1 वकील  
वादी द्वारा इस वाद पत्र में जैरवी के  
संबंध में No Instruction होने बताया।  
तथा वकील वादी द्वारा No Instruction  
होने के कारण यह वाद पत्र खारिज किने  
जाने योग्य हो गया। वादी का यह वाद  
पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जा रहा है।  
पत्रावली वाद तहरीज तत्काल होने संभव  
होता है।

विजय मिश्रा का नाम खुले व्यापारिक  
में सुनाया गया।

No  
Instruction  
दिनांक

(मन्मोहन कुमार शीष)  
Rohit  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना